पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – **9454400250**, दूरभाष- **05462-260403**, ई-मेल- **spazh-up@nic.in**

संख्या- 74/2024 **दिनांक- 04.03.2024**

प्रेस- नोट

थाना- फूलपुर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 04-03-2024 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा चेकिंग के ITI कालेज के पास से साजर पुत्र अवू जाफर निवासी ग्राम भादी खास थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र 32 वर्ष के पास से एक कट्टा व एक जिन्दा कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 109/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि पंजीकृत है। विवेचना उ0नि0 गनेश चन्द यादव के द्वारा की रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त - साजर पुत्र अवू जाफर निवासी ग्राम भादी खास थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र 32 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- एक 315 बोर एक कट्टा व 315 बोर एक जिन्दा करातुस बरामद।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 109/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 109/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़ ।

थाना- जीयनपुर

बाइक चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 18.04.2022 को वादी मुकदमा जयहिन्द जायसवाल S/O स्व0 श्री कोमल सा0 मुहल्ला हसनपट्टी कस्बा व थाना जीयनपुर जिला आजमगढ हाल पता मु0 जामेतुल बनात कस्बा व थाना जीयनपुर जिला आजमगढ उपस्थित थाना आकर लिखित सूचना दिये की दिनांक 17.4.2022 को समय करीब 3.30 बजे दिन मे मै अपनी मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर UP50AN7044 को अपने आवास के सामने स्थित मु0 जामेतुल बनात पर खडी करके लाक कर दिया था मै घर के अन्दर चला गया जब 3.30 बजे बाहर आया है तो देखा कि मेरी गाडी नही मेरी गाडी को अज्ञात चोर चुरा ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 188/2022 धारा-379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाहन UP50AN7044 दौराने वाहन चेकिंग थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ मे बरामद हुयी नियमानुसार बरामद शुदा वाहन को थाना स्थानीय पर लाया गया तथा विवेचना से अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र स्व0 दुबरी यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411भादवि की बढ़ोतरी की गयी । विवेचना के क्रम मे -

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 04/03/2024 को उ0नि0 विजय सिंह गौड मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र दुबरी यादव निवासी ग्राम मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ समय करीब 08.15 बजे उनके घर के पास ग्राम मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ से हिरासत पुलिस मे लिया गया ।आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-अरविन्द यादव पुत्र दुबरी यादव निवासी ग्राम मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0- 188/2022 धारा 379/411भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0विजय सिंह गोड़ थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. का0 दशरथ सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 विन्द्रेश गौड़ थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना – तरवां

किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादिनी मुकदमा थाना तरवां जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी मुकदमा की लड़की उम्र 14 वर्ष को दिनांक 27.02.24 को समय 8 बजे रात्रि में शौच करके घर वापस आ रही थी कि विपक्षी पवन राजभर पुत्र विरजू राजभर द्वारा छेड़खानी करने लगा, मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी,के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 68/2024 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम पवन राजभर पुत्र विरजू राजभर साकिन हंसनपुर उर्फ भरथीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रतन कुमार सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक- 04.03.2024 कोउ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पवन राजभर पुत्र विरजू राजभर साकिन हंसनपुर उर्फ भरथीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को बोगरिया नहर के पास से समय करीब 09.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 68/24 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-पवन राजभर पुत्र विरजू राजभर साकिन हंसनपुर उर्फ भरथीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 सुरेन्द्र प्रताप यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना – तरवां

दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादिनी मुकदमा थाना तरवां जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी इरशाद अली उर्फ दीपक पुत्र शौकत अली ग्राम ऐरा कला थाना तरवां जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ तीन वर्षो से शादी का झासा देकर शारिरीक सम्बन्ध बनाया गया, वादिनी द्वारा शादी करने को कहने पर शादी से इन्कार करना तथा वादिनी द्वारा इरशाद उर्फ दीपक के घर उलाहना देने गयी तो उसके परिवार वालो द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 29.02.24 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/24 धारा 376/504/506 भादवि बनाम 1. इरशाद अली उर्फ दीपक पुत्र शौकत अली 2.शौकत अली पुत्र कहमतुल्लाह 3.जहरुन बानो पत्नी शौकत अली निवासीगण ग्राम ऐरा कला थाना तरवां जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 04.03.24 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इरशाद अली उर्फ दीपक पुत्र शौकत अली ग्राम ऐरा कला थाना तरवां जनपद आजमगढ को कंचनपुर बाजार से समय करीब 06.30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 69/24 धारा 376/504/506 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-इरशाद अली उर्फ दीपक पुत्र शौकत अली ग्राम ऐरा कला थाना तरवां जनपद आजमगढ उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह का0 दीपक कुमार यादव , का0 अविनाश सिंह यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

फरार अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा

आज दिनांक 04.03.2024 को थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत मु.अ.स.- 279/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि.अधि.व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त छोट पुत्र जुम्मन,फैसल पुत्र जुम्मन सा.गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मा.न्यायालय एसीजेएम कोर्ट नं.11 से निर्गत 82 सीआरपीसी की नोटिस का तामिला हेतु अभियुक्तगण छोट पुत्र जुम्मन,फैसल पुत्र जुम्मन सा.गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के घर उ0नि0 अजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मय हमराह के दबिश दिया गया एवं डुगडुगी बजवाते हुए सहज स्थान पर 82 सीआरपीसी की नोटिस को चस्पा किया गया।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा गुम हुए कुल 70 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमती लगभग 10 लाख रूपया) किया गया बरामद।

➡ आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद में गुम हुए कुल 70 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमती लगभग 10 लाख रूपया) को सी0ई0आई0आर0 पोर्टल के माध्यम से बरामद किया गया।

➡ आज दिनांक 04.03.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा प्रत्येक बरामद एण्ड्रायड मोबाइल फोन के स्वामियो को सुपुर्द किया गया।